DEC/Su-1

उपायुक्त रॉंची की अध्यक्षता में दिनांक 16/07/2019 को आयोजित District Executive Committee (DEC) की बैठक की कार्यवाही:–

District Executive Committee (DEC) की बैठक दिनांक 16.07.2019 उपायुक्त, रॉंची के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपायुक्त, रॉंची के द्वारा प्राधिकृत किये जाने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता (नक्सल) रॉंची ने आज की बैठक का संचालन किया। आज की बैठक में निम्नाकिंत पदाधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित हुयेः–

1–उपायुक्त, रॉंची।

2–अपर समाहर्ता (नक्सल), रॉंची।

3–महाप्रबन्धक, झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉंची।

4– मुख्य कारखाना निरीक्षक, श्रम विभाग, श्रम भवन डोरंडा,रॉंची।

5–क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा प्रक्षेत्र, रॉंची।

6–क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद रॉंची।

7–अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक आफ इंडिया, प्रधान टावर मेन रोड रॉंची।

8–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रॉंची।

9–श्री सुशील कुमार बरियार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, रॉंची।

10–श्री भवानी सिंह मैनेजर, EoDB जिला उद्योग केन्द्र, रॉंची।

11–M/S shahi Exports Ranchi

12– M/S Indigo catering & Services Pvt. Ltd Ranchi

13- M/S Galaxy elegant fashions Pvt. Ltd. Ranchi

14- M/S Priyanshi Agrotech Industries Ranchi

15- M/S Dev Aahar Food Industries Pvt Ltd. Ranchi

16- M/S Ceti Enterprises Ranchi

DEC/Su-2

17- M/S K FIRM Ranchi

18- M/S Supreme polyplast Ranchi

19- M/S Kishore Export Ranchi

20- Ex chairman / President FJCCI

21- Factory inpector Ranchi Cricle – 1,3

22- Kunal Ajman Secretory FJCCI

23- Rajendra Owner CETI Enterprises Saher, Nagri

24- Ravi Barnwal Arindam Fashion Patratu Ind. Area, Ramgarh

25- Vikash Vijayvarging Owner Preeti Engineering Patratu Ind. Area

:–कार्यवाही–:

उपायुक्त, राँची ने सर्वप्रथम उपस्थिति सभी पदाधिकारियों एवं उद्यमियों का परिचयन प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार प्रारम्भ की।

1– M/S Shahi Exports के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि भवन प्लान अनुमोदन के लिये जियाडा को ऑन लाईन 09.08.2018 को किया था, परन्तु अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है, तथा एक बार आवेदन ऑन लाईन रद्द होने के बाद फिर से आवेदन करने पर सात दिन का समय लग जाता है, जिससे काफी समय लग जाता है। FJCCI के अध्यक्ष श्री दीपक मारू ने उपायुक्त, राँची से अनुरोध किया कि ऑन लाईन आवेदन रद्द होने का कारण स्पष्ट बताते हुये सात दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया जाय ताकि, आवेदन के रद्द होते ही फिर से आवेदन कर दिया जाय जिससे झारखंड में स्थापित होने वाले उद्यमियों को परेशानी न हो। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन पोर्टल का संचालय उद्योग विभाग, झारखंड के द्वारा किया जाता है। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बताया गया कि उनका BPAMS का प्लान स्वीकृत कर दिया गया है। <u>(अनुपालन–जियाडा, राँची)</u>

उपायुक्त राँची ने Shahi Exports के उपस्थित प्रतिनिधि को निदेशित किया कि अपनी समस्या को लिखकर दे जिसे उद्योग विभाग को महोदय के स्तर से भेजा जाय।

2–M/S Matrix Clothing Ltd. के प्रतिनिधि आज की बैठक में अनुपस्थित थे। महाप्रबन्धक द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि उक्त उद्यमी का वाणिज्यिक उत्पादन तिथि ऑन लाईन दिया गया है जो जियाडा में विचाराधीन है, तथा जियाडा के भूमि पर उक्त उद्योग होने के कारण वाणिज्यिक उत्पादन तिथि जियाडा को ही देना है। जब तक वाणिज्यिक उत्पादन तिथि निर्धारण नहीं किया जायगा तब तक अनुदान की राशि नहीं दी जा सकती है। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक ने उपायुक्त, राँची को बताया कि यथाशीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन तिथि निर्धारण कर दिया जायगा। **(अनुपालन–जियाडा, राँची)**

3– M/S Dev Aahar Food Industries Pvt. Ltd के श्री देवेन्द्र पाण्डेय ने उपायुक्त को बताया कि केनारा बैंक में वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रतिवेदन क्षेत्रीय प्रबन्धक को समर्पित किया गया है, इसे जॉच करने हेतु बैंगलोर से बैंक की टीम आयेगी एवं उनका वॉछित शुल्क प्रोमोटर को जमा करना है । बैंकों का परियोजना पर मंतब्य सकारात्मक नहीं है। । महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ने उपायुक्त को बताया कि व्यक्तिगत रूप से इलाहाबाद बैंक से समर्प्क किया हूॅ, तथा बैंक से अनुरोध किया हूॅ कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाय। बैक द्वारा Documentation का कार्य किया जा रहा है। **(अनुपालन–अग्रणी जिला प्रबंधक, राँची)**

उपायुक्त, राँची ने उपस्थित अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक आफ इंडिया को निदेशित किया कि यथाशीघ्र ऋण भुगतान की दिशा में आवश्यक कारवाई की जाय। साथ ही उक्त उद्यमी को निदेशित किया कि FJCCI के माध्यम से उपायुक्त को पत्र दें।

4– M/S Indigo Catering & Services Pvt Ltd के उपस्थित प्रतिनिधि ने उपायुक्त को बताया कि चापावार (ओरमांझी) में जियाडा के द्वारा जो भूमि आवंटित की गई है, उसके समतलीकरण करने में काफी मिट्टी भरना होगा जिसमें काफी व्यय होने की सम्भावना है। FJCCI के अध्यक्ष श्री दीपक मारू ने बताया गया कि भूमि आवंटित होने के पूर्व जियाडा द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि का समतलीकरण, पानी, बिजली इत्यादी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जायेगी, लेकिन अभी तक इस पर जियाडा द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। FJCCI के श्री विकास सिंह ने उपायुक्त, राँची से अनुरोध किया कि औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन कैटेगरी में शामिल कर दिया जाय तथा जियाडा द्वारा ही भूमि आवंटन करने के पूर्व ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर भूमि आवंटित करना चाहिए, ताकि उद्योग स्थापित करने में किसी प्रकार की परेशानी नही हो। **(अनुपालन–जियाडा, राँची)**